बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक– 23/07/2026

संचिका संख्या–03/आ01–12/2025 I/467407/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक–2890 दिनांक 30.12.2024 द्वारा श्री दिनेश कुमार पासवान, प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जहानाबाद सम्प्रति पदस्थापन–बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में आरोप यथा– पद का दुरूपयोग करना, विभागीय निदेश के प्रतिकूल कार्य करना, मनमानीपूर्ण कृत्य करना, वित्तीय अनियमितता बरतना, टिप्पणी पृष्ठ पर गलत प्रस्ताव देकर आदेश प्राप्त करना, निगरानी विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्राथमिकी दर्ज चिन्हित फर्जी/अनियमित तरीके से नियुक्त शिक्षकों को भुगतान करना, निदेश के बाद भी तत्संबधित को भुगतान करने वाले पदाधिकारियो/कर्मियों का नाम एवं कार्यावधि का विदरण उपलब्ध नहीं कराना, विभाग द्वारा चिन्हित फर्जी शिक्षिकाओं पर प्राथमिकी दर्ज करने एवं नीलामवाद दाखिल करने के निदेश की अवहेलना करना, स्पष्टीकरण माँगने पर भी कोई प्रतिवेदन/स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराना तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन करने का आरोप प्रतिवेदित है। आरोप पत्र के आलोक में श्री पासवान से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री पासवान द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

2. श्री पासवान के लिखित बचाव अभिकथन पर जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–280550 दिनांक–13.08.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. श्री पासवान के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–23/C दिनांक–27.02.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–375415 दिनांक 06.03.2026 द्वारा श्री पासवान से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री पासवान द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन पत्रांक–शुन्य दिनांक 30.03.2026 द्वारा समर्पित किया गया।

5. श्री दिनेश कुमार पासवान पर प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। इसमें यह ज्ञात होता है कि उनके द्वारा विधि एवं विधि की प्रक्रिया की जानकारी रहने के बाद भी फर्जी प्रमाण पत्र पर कार्यरत् शिक्षिकाओं के भुगतान की कार्रवाई की गई है, जो पद के दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट दृष्टांत परिलक्षित होता है। यदि संबधित फर्जी शिक्षिकाओं को भुगतान करने का तथ्य जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद के संज्ञान में नहीं आता, तो उक्त फर्जी शिक्षिकाओं से वसूली भी संभव नहीं हो पाती। फर्जी शिक्षिकाओं से वसूली किया जाना भी आरोप को सम्पुष्ट करता है। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा भूलवश कुछ गलतियां किए जाने की स्वीकारोक्ति भी की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती गई है तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध प्रतिवेदन देने में शिथिलता बरती गई है। वृहत् जांच में भी इनपर प्रतिवेदित अधिकांश आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। अतएव इनके लिखित अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। यह अवश्य है कि ये गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुझ रहे थे।

6. तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दिनेश कुमार पासवान, प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जहानाबाद सम्प्रति पदस्थापन बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के प्रावधानों के तहत "संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि

रोकने" की शास्ति विनिश्चित की गई तथा इस विनिश्चित शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

7. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1230 दिनांक 07.07.2026 द्वारा श्री दिनेश कुमार पासवान, प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जहानाबाद सम्प्रति पदस्थापन बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है।

8. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दिनेश कुमार पासवान, प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जहानाबाद सम्प्रति पदस्थापन बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि की रोक"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–12/2025.1/467407/ पटना, दिनांक 23/07/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दिनेश कुमार पासवान, प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जहानाबाद सम्प्रति पदस्थापन–बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Vijay Kumar
Date: 23-07-2026 16:03:26

निदेशक (प्रशासन)